>

12.05 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377 *

MADAM SPEAKER: Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Hon. Members may send the slips to the Table of the House immediately as per the practice.

...(*Interruptions*)

Title: Need to provide technical and financial assistance to the Government of Rajasthan for treatment of agricultural land rendered unfit for cultivation in Ganganagar and Hanumangarh districts of Rajasthan.

श्री भरत राम मेघवाल (श्रीगंगानगर): देश में, केन्द्र सरकार की ओर से प्राप्त आर्थिक सहायता एवं तकनीकी सहयोग से राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों की कृषि भूमि का उचित रख-रखाव करते हुए निरंतर उपज को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। मेरे चुनाव क्षेत्र गंगानगर-हनुमानगढ़ जिलों की कृषि भूमि क्षेत्र सेम से प्रभावित है। रावतसर तथा पीलीबंगा तहसील क्षेत्र अत्यधिक सेम प्रभावित क्षेत्र है।

मैं, भारत सरकार से मांग करता हूं कि गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों का सर्वेक्षण कर यह जानने का प्रयास किया जाये कि किसानों की उपजाऊ भूमि, जो दिनोंदिनं सेम से प्रभावित हो रही है, को कैसे बचाया जाये तथा राजस्थान सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए तकनीकी एवं आर्थिक सहायता प्रदान की जाये, ताकि क्षेत्रीय किसान अपनी जमीन से उचित मात्रा में उपज प्राप्त कर सकें।